जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./14/डी–1049 दिनांकः– 13-8-14

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **109वीं बैठक दिनांकः 07.08.14 को अपराह्न 04.00 बजे** जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"चिन्तन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		109:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 103वीं बैठक दिनांक 14.02.14 व 108वीं बैठक दिनांक 15.07.14 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं बैठक 104वीं से 108वीं की पालना रिपोर्ट की समीक्षा।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 103वीं बैठक दिनांक 14.02.14 व 108वीं बैठक दिनांक 15.07.14 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक संख्या 104, 105, 106, 107 व 108 की समीक्षा के दौरान आयुक्त महोदय द्वारा सभी उपायुक्तों को निर्देश दिये कि जिन प्रकरणों में राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु लिखा गया हैं, उनमे स्मरण पत्र जारी किया जावे। जिन उपायुक्तों के द्वारा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है, आयुक्त महोदय द्वारा उन्हें अतिशीघ्र पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये।
2.	14	109:2	ग्राम बीलवा में 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन स्थापित करने हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम बीलवा में नव सृजित बीलवा आवासीय योजना के अनुमोदित मानचित्र के रिक्त सुविधा क्षेत्र में से जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, सांगानेर, जयपुर को 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन स्थापित करने हेतु 500 वर्गमीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
3.	1	109:3	भूखण्ड संख्या जे–6 का संशोधित पत्र सुलभ इन्टरनेशनल को सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाईजेशन के नाम से जारी करने बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या जे–6 झालाना डूंगर संस्थानिक क्षेत्र जो सुलभ इन्टरनेशनल को आवंटित है, का नाम सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाईजेशन संशोधित करने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया कि संस्था इसके लिए एक क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र (Indeminity Bond) निष्पादित करेगी कि "पूर्ववर्ती नाम की कोई संस्था अब अस्तित्व में नहीं रही है। संस्था के नाम परिवर्तन करने संबंधी कोई विवाद नहीं है व नवीन संस्था का विधान, सदस्य, हित व कार्यक्षेत्र पूर्व संस्था के समान है।"
4.	14	109:4	सचिवालय नगर सीतापुरा में 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर जविप्रा द्वारा अनुमोदित योजना सचिवालय नगर सीतापुरा के सुविधा क्षेत्र में से जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, सांगानेर, जयपुर को 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन स्थापित करने हेतु 500 वर्गमीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
5.	10ए	109:5	बीसलपुर परियोजना के लिये टंकी के आवंटन तथा पुलिस थाना खो नागोरियान हेतु भूमि से प्रभावित सर्वेधारियों को पालडीमीणा योजना में भूखण्ड आवंटन बाबत।	बीसलपुर परियोजना के लिये टंकी के आवंटन तथा पुलिस थाना खो नागोरियान हेतु भूमि से प्रभावित सर्वेधारियों श्री खुर्शीद पुत्र श्री यासीन मोहम्मद, कालू उर्फ जहूर मोहम्मद, छाजूराम पुत्र श्री छोटूराम, भौरया पुत्र श्री छाजूराम को पालडीमीणा योजना में उपलब्ध रिक्त 40 वर्गमीटर के नॉन कार्नर भूखण्डों में से आवंटन हेतु उपायुक्त जोन द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत

उप. आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				किया गया है। नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 19.07.13 के अनुसार बीसलपुर जयपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हेतु आवंटित भूमि पर अतिक्रमी के रूप मे काबिज परिवारों के पुनर्वास किये जाने के लिए पालडीमीणा में 40 वर्गमीटर के भूखण्ड वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन की स्वीकृति प्राप्त हुई है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर पालडीमीणा योजना के डी-ब्लॉक में से उक्त सर्वेधारियों को योजना की आवासीय आरक्षित दर पर लॉटरी द्वारा प्रत्येक को 40 वर्गमीटर का एक-एक नॉन कार्नर भूखण्ड आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
6.	8	109:6	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 33/11 केवी के लिये भूमि आवंटन करने बाबत।	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. को निजी खातेदारी की योजना नारायण विहार सी में 1434.28 वर्गगज तथा नारायण विहार टी में 1350 वर्गगज भूमि 33/11 केवी सब स्टेशन के लिये भूमि आवंटन करने का एजेण्डा नोट उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर नारायण विहार सी योजना में सृजित सुविधा क्षेत्र में से 500 वर्गमीटर तथा नारायण विहार टी योजना में सृजित सुविधा क्षेत्र में से 500 वर्गमीटर भूमि 33/11 केवी जीएसएस हेतु योजना की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
7.	13ए	109:7	राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पात्र 7 शिक्षकों को पीताम्बरा आवासीय योजना में भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के प्रावधानानुसार निम्नांकित 7 शिक्षकों को पीताम्बरा आवासीय योजना में प्रत्येक को 200 वर्गमीटर का नॉन कार्नर भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा समस्त रिक्त नॉन कार्नर भूखण्डों में से लॉटरी द्वारा निम्न आवेदकों में प्रत्येक को एक भूखण्ड आवंटन किया जावे:- 1. श्री हरीचरन शर्मा 2. श्री छुट्टन लाल सैनी 3. श्री मसउद अख्तर कुरैशी 4. श्री सीताराम रुमावत 5. डॉ0 किशनलाल उपाध्याय 6. श्री विष्णु कुमार शर्मा 7. श्री चन्द्रशेखर जोशी
8.	8	109:8	श्री सुभाष चन्द पूनियां, कीर्ति चक्र धारक को स्वर्ण विहार योजना में भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	श्री सुभाष चन्द पूनियां, कीर्ति चक्र धारक को राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के प्रावधानानुसार स्वर्ण विहार योजना में भूखण्ड संख्या 266 क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

आयुक्त महोदय की अनुमति से बैठक में प्रस्तुत निम्नांकित टेबल एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :-

9.	8	109:8(1)	एक्यूप्रेशर सेवा समिति को नि:शक्तजनों को चिकित्सा प्रशिक्षण हेतु सायपुरा में भूमि आवंटन करने बाबत।	एक्यूप्रेशर सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा जविप्रा की सायपुरा संस्थानिक योजना में नि:शक्तजन चिकित्सा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु 800 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। संस्था का रजिस्ट्रेशन तीन वर्ष से अधिक पुराना है, किन्तु संस्था के मूल विधान में उक्त विषय वर्णित नहीं है। संस्था ने विधान में संशोधन दिनांक 23.06.14 को करवाकर संशोधित प्रति प्रस्तुत की है। संशोधित विधान

(एल.पी.सी.)
उ० आयुक्त
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				में निःशक्तजनों को एक्यूप्रेशर उपकरणों के निर्माण का प्रशिक्षण देना, निःशुल्क एक्यूप्रेशर योग, आयुर्वेद चिकित्सा का प्रशिक्षण निःशक्तजन व्यक्तियों को देने, निःशक्तजन व मूक बधिरों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का कार्य करना वर्णित है। आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि जयपुर नगर निगम की सीमा में स्थित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त बिन्दुओं पर शिथिलन प्रदान करने व संस्था को 800 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया।
10.	10ए	109:8(2)	घाट की गुणी परियोजना में राजस्थान रोडवेज की पैट्रोल पम्प की भूमि अवाप्त के बदले किलनगढ में भूमि आवंटन बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की टनल परियोजना हेतु 12667 वर्गगज अवाप्तशुदा भूमि के बदले ग्राम बगराना में 17 बीघा भूमि आवंटित कर दी गई है। पैट्रोल पम्प उक्त अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित है तथा पैट्रोल पम्प लीज पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा ही दिया गया है। अतः प्रकरण में जविप्रा स्तर पर कोई कार्यवाही की जाना अपेक्षित नहीं है।
11.	10ए	109:8(3)	पाकिस्तानी हिन्दू विस्थापित 19 परिवारों को सुमेल योजना में भूखण्ड आवंटन कर पूनर्वासित करने बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर द्वारा पत्रांक 639 दिनांक 24.07.14 द्वारा जिन पाकिस्तानी हिन्दू विस्थापित 19 परिवारों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की पुष्टि की गई है, उन्हें सैद्धान्तिक रूप से प्रत्येक को सुमेल योजना में 45 वर्गमीटर के नॉन कार्नर भूखण्ड का आवंटन योजना की आवासीय आरक्षित दर पर करने का निर्णय लिया गया। आवंटन पत्र जारी करने से पूर्व निम्न जांच/कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित किया जावेः– 1. विस्थापित परिवार की मौके पर जांच कर यह सत्यापित किया जावे कि वह परिवार की पृथक ईकाई है। 2. परिवार के मुखिया से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि उसे या उस पर आश्रित परिवार के किसी सदस्य को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के पश्चात कोई भूखण्ड/भवन आवंटित नहीं किया गया है व उसके खिलाफ कोई अपराधिक प्रकरण लम्बित नहीं है।
12.	12बी	109:8(4)	ग्राम मूण्डोता तहसील आमेर के खसरा नं. 707 रकबा 9.67 है0 में से 1000 वर्गमीटर भूमि ग्राम पंचायत भवन हेतु आवंटन बाबत।	उपायुक्त द्वारा ग्राम मूण्डोता तहसील आमेर के खसरा नं. 707 रकबा 9.67 है0 किस्म चरागाह में से 1000 वर्गमीटर भूमि ग्राम पंचायत भवन हेतु आवंटन बाबत एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम पंचायत मूण्डोता के भवन निर्माण हेतु ग्राम मूण्डोता तहसील आमेर के खसरा नं. 707 में से 1000 वर्गमीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। शेष भूमि की प्लानिंग जोन स्तर पर कराई जावे।
13.	12बी	109:8(5)	ग्राम मूण्डोता तहसील आमेर के खसरा नं. 707 रकबा 9.67 है0 में से 1000 वर्गमीटर भूमि कृषि सेवा केन्द्र हेतु आवंटन बाबत।	उपायुक्त द्वारा ग्राम मूण्डोता तहसील आमेर के खसरा नं. 707 रकबा 9.67 है0 किस्म चरागाह में से 1000 वर्गमीटर भूमि कृषि सेवा केन्द्र हेतु आवंटन बाबत एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार

				विमर्श कर कृषि सेवा केन्द्र के भवन निर्माण हेतु ग्राम मुण्डोता तहसील आमेर के खसरा नं. 707 मे से 1000 वर्गमीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। शेष भूमि की प्लानिंग जोन स्तर पर कराई जावे।
14.	12बी	109:8(6)	आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गनाइजेशन को ग्राम नाहरीकाबास में भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–12बी द्वारा आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गनाईजेशन को ग्राम नाहरीकाबास तहसील जयपुर के खसरा नं. 47 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा में से 12 बीघा एवं खसरा नं. 1/1 रकबा 36 बीघा 12 बिस्वा में से 25 बीघा भूमि आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि की अब तक कोई योजना नहीं बनाई गई है। अतः योजना बनाई जाकर किस दर पर भूमि दी जानी है, कितने व्यक्तियों के लिए भूमि की आवश्यकता है, इत्यादि के पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
15.	13	109:8(7)	अनुसूचित जाति कल्याण समिति को ग्राम अचरोल में बसी बस्ती के जी.एच.आई.जे.के.एल. ब्लॉक की 4.02 हैक्टेयर भूमि आरक्षित करने बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर अनुसूचित जाति कल्याण समिति के लिए उपायुक्त द्वारा प्रस्तावित खसरा नं. 2236 रकबा 0.40 हैक्टेयर, 2404 रकबा 3.19 हैक्टेयर व 2410 रकबा 0.30 है0 कुल 4.02 हैक्टेयर भूमि आरक्षित करने की सैद्धान्तिक सहमति देने का निर्णय लिया गया।
16.	13	109:8(8)	राजकीय प्राथमिक विद्यालय बूनकर बस्ती ग्राम कूकस को आवंटित भूमि खसरा नं. 118 में से 2000 वर्गमीटर में रास्ते की चौडाई कम होने से शिथिलता प्रदान करने बाबत।	राजकीय प्राथमिक विद्यालय बूनकर बस्ती ग्राम कूकस को एलपीसी की बैठक दिनांक 28.09.12 में ग्राम कूकस के खसरा नं. 118 में से 2000 वर्गमीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटित की गई थी। राज्य सरकार से निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उक्त भूमि पर पहुँच मार्ग कच्चा/डब्ल्यू.बी.एम. कही–कही पर उपलब्ध है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गैर मुमकिन रास्ता उपलब्ध नही है। मौके पर चालू रास्ते की चौडाई 15 फीट है, जबकि स्कूल भवन के लिए मास्टर प्लान पॉलिसी के अनुसार 18 मीटर चौडी रोड का प्रावधान है। चूंकि यह राजकीय विद्यालय को भूमि आवंटन का प्रकरण है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर समस्त तथ्यों के साथ राज्य सरकार को रास्ते के लिए निर्धारित चौडाई में शिथिलता प्रदान करते हुये भूमि का पटटा जारी करने की स्वीकृति हेतु लिखे जाने का निर्णय लिया गया।
17.	14ए	109:8(9)	श्री पवन कुमार शर्मा को जविप्रा की आवासीय योजना सालिगरामपुरा के भूखण्ड संख्या ए–142 में बढे हुये क्षेत्रफल 115.21 वर्गगज को आवंटित करने बाबत।	उपायुक्त जोन–14ए द्वारा जविप्रा की सालिगरामपुरा आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या ए–142 (कॉर्नर) क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर में 115.21 वर्गगज क्षेत्रफल बढ जाने से एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत 100 वर्गगज तक बढे हुये क्षेत्रफल को आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का प्रावधान है। चूंकि प्रश्नगत बढे हुए भूखण्ड का क्षेत्रफल 115.21 वर्गगज है। अतः प्रकरण मय अभिशंषा के राज्य सरकार को उक्त बढे हुए क्षेत्रफल के आवंटन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जावे।
18.	13ए	109:8(11)	कल्पना नगर आवासीय योजना में खातेदारों की भूमि पर सृजित होकर योजना सीमा से बाहर होने से प्रभावित आवंटित भूखण्डो के	विचार विमर्श पश्चात समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण को एलपीसी की बैठक में रखे जाने की आवश्यकता नहीं है।

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			बदले कल्पना नगर आवासीय योजना में ही अन्य भूखण्ड दिए जाने बाबत।	
19.	13ए	109:8(12)	श्री प्रदीप मित्तल एवं श्री मनोज मित्तल को ग्राम कानोता में पूर्व में आवंटित सुविधा क्षेत्र की भूमि के दर के निर्धारण के संबंध में।	एलपीसी की 108वीं बैठक दिनांक 15.07.14 में श्री प्रदीप मित्तल एवं श्री मनोज मित्तल को ग्राम कानोता तहसील बस्सी को सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित 5 प्रतिशत भूमि (6610 वर्गमीटर भूमि) जोन की आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया था। डवलपर द्वारा उक्त भूमि ग्राम कानोता निर्धारित आरक्षित दर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर एलपीसी के निर्णय दिनांक 15.07.14 में जोन की आवासीय आरक्षित दर की दुगनी दर के स्थान पर ग्राम कानोता हेतु जविप्रा द्वारा निर्धारित आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
20.	13	109:8(13)	हीरो मोटोकॉर्प लि0 हेतु रीको को ग्राम कूकस के खसरा नं. 1574 मिन रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म बारानी–ए, 1575 रकबा 0.14 है0 किस्म गै.मु. रास्ता, 1577 रकबा 0.26 है0 किस्म गै.मु. रास्ता, 1602 रकबा 0.06 है0 किस्म गै.मु. रास्ता, 1812 मिन रकबा 0.45 है0 किस्म गै.मु. रास्ता कुल किता 5 रकबा 0.92 है0 एवं ग्राम अजबगढ उर्फ हांडी का बास के खसरा नं. 5 में से 0.16 है0 किस्म गै.मु. रास्ता, 7 रकबा 1.7040 है0 किस्म चरागाह, खसरा नं. 10 में से 1.7554 है0 किस्म चरागाह 13 में से 1.92 है0 किस्म चरागाह कुल किता 4 कुल रकबा 5.5394 है0 इस प्रकार कुल रकबा 0.92 है0 + 5.5394 है0 = 6.4594 है0 भूमि आवंटित करने बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर रीको को ग्राम कूकस के खसरा नं. 1574 मिन रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म बारानी–ए, 1575 रकबा 0.14 है0 किस्म गै.मु. रास्ता, 1577 रकबा 0.26 है0 किस्म गै.मु. रास्ता, 1602 रकबा 0.06 है0 किस्म गै.मु. रास्ता, 1812 मिन रकबा 0.45 है0 किस्म गै.मु. रास्ता कुल किता 5 रकबा 0.92 है0 एवं ग्राम अजबगढ उर्फ हांडी का बास के खसरा नं. 5 में से 0.16 है0 किस्म गै.मु. रास्ता, 7 रकबा 1.7040 है0 किस्म चरागाह, खसरा नं. 10 में से 1.7554 है0 किस्म चरागाह 13 में से 1.92 है0 किस्म चरागाह कुल किता 4 कुल रकबा 5.5394 है0 इस प्रकार कुल रकबा 0.92 है0 + 5.5394 है0 = 6.4594 है0 भूमि जोन की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का इस शर्त पर निर्णय लिया गया कि रीको द्वारा हितबद्ध व्यक्तियों व खातेदारों के सुखाधिकार को ध्यान में रखते हुये आवागमन की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी।
21.	13	109:8(14)	निम्स विश्वविद्यालय, जयपुर हेतु राजस्व ग्राम–जुगलपुरा तहसील आमेर खसरा नं. 526, 533 व 547 की कुल रकबा 41.16 है0 भूमि आवंटन बाबत।	माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी (सी.) सं. 38332–33/2012 में दायर स्पेशल लीव अपील (सिविल) सं. 38040–38041/2012 में पारित निर्णय दिनांक 12.02.13 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिये कि पिटीशनर अपना अभ्यावेदन जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत करे जिसका 4 सप्ताह में जयपुर विकास प्राधिकरण प्रकरण का निस्तारण करे। प्रस्तुत अभ्यावेदन को जविप्रा द्वारा दिनांक 04.04.13 को निरस्त किया जा चुका है। पुनः निम्स विश्वविद्यालय द्वारा भूमि आवंटन हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। उपायुक्त जोन द्वारा निम्स विश्वविद्यालय, जयपुर को ग्राम जुगलपुरा तहसील आमेर खसरा नं. 526, 533 व 547 की कुल रकबा 41.16 है0 भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उपायुक्त ने खसरा नं. 526 में 8125 वर्गमीटर व खसरा नं. 547 में से 600 वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण कर चार छात्रावासों का पक्का निर्माण किया जाना बताया है। समिति द्वारा विचार

अति० आयुक्त (एल.पा.सा.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण राज्य सरकार को नियमों में शिथिलता हेतु भेजा जाए, क्योंकि संस्था संस्था सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड न होकर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 (1959 का 42) के अधीन सार्वजनिक प्रन्यास के रूप में रजिस्टर्ड है एवं नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति दिनांक 19.04.11 के अनुसार संस्था को सोसायटी एक्ट में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।
22.	9	109:8(15)	श्री कमल कान्त वर्मा को जविप्रा की टीलावाला योजना में भूखण्ड संख्या ए–95 के स्थान पर ए–247 विनिमय करने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा श्री कमल कान्त वर्मा को जविप्रा की टीलावाला योजना में भूखण्ड संख्या ए–95 के स्थान पर ए–247 विनिमय करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त द्वारा दोनों भूखण्ड समान माप व समान चौडाई की रोड पर स्थित होना बताया है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रस्तावानुसार भूखण्ड विनिमय करने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई।

सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, एवं नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त / अभियांत्रिकी–द्वितीय / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10ए, 11, 12, 12ए, 12बी, 13, 13ए, 14, 14ए, 15 से 19
16. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
17. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
18. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 109वीं बैठक दिनांक 07.08.14 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री शिखर अग्रवाल, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोड़ा, सचिव	सदस्य
3.	श्रीमति लवंग शर्मा, निदेशक (आयोजना)	सदस्य
4.	श्री देवराज सिंह, निदेशक (वित्त)	सदस्य
5.	श्रीमती नलिनी कठोतिया, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
6.	श्री भागीरथ हावा, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
7.	श्री लोकेश सहल, उपायुक्त जोन–10 व 10ए	विशेष आमंत्रित
8.	श्री प्रवीण कुमार, उपायुक्त जोन–12बी	विशेष आमंत्रित
9.	श्री बीरबल सिंह शेखावत, उपायुक्त जोन–13 व 13ए	विशेष आमंत्रित
10.	श्री जय भगवान, ए०टी०पी० जोन–9	विशेष आमंत्रित
11.	श्री प्रभात गोस्वामी, विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित